रजि0 नं0 एल. डब्लू./एन. पी. 561
लाइसेन्स नं0 डब्लू0 पी0—41
लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 6 अक्टूबर, 1989
आश्विन 14, 1911 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग—1

संख्या 1916/सत्रह-वि—1-1(क)40-1989
लखनऊ 6 अक्टूबर, 1989

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1989 पर दिनांक 5 अक्टूबर, 1989 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 1989 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1989

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, सन् 1989)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का और अधिक संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1989 कहा जायगा।

(2) यह 26 जून, 1989 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1966 की धारा 29 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 29 में, उपधारा (6) में, प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द और अंक "30 जून 1989" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1989" रख दिये जायेंगे ।

धारा 35 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 35 में, उपधारा (6) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द और अंक "30 जून 1989" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1989" रख दिये जायेंगे ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 198

निरसन और अपवाद

4—(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1989 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

आज्ञा से,
नारायण दास,
सचिव ।

No. 1916 (2) /XVII-V—1-1 (KA) 40-1989

Dated Lucknow, October 6, 1989

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sahakari Samiti (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 1989 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 19 of 1989) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on October 5, 1989.

THE UTTAR PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (SECOND AMENDMENT) ACT, 1989

[U. P. Act No. 19 of 1989]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965.

IT IS HEREBY enacted in the Fortieth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Second Amendment) Act, 1989.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 26, 1989.

Amendment of section 29 of U.P. Act no. 11 of 1966

2. In section 29 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (6), in the first proviso, for the word and figures "June 30, 1989" the word and figures "December 31, 1989" shall be *substituted*.

Amendment of section 35

3. In section 35 of the principal Act, in sub-section (6), in the proviso, *for* the word and figures "June 30, 1989" the word and figures "December 31, 1989" shall be *substituted*.

U. P. Ordinance no. 10 of 1989.

Repeal and saving

4. (1) The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Second Amendment) Ordinance, 1989 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance, referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
NARAYAN DAS,
Sachiv.

पी० एन० यू० पी०—ए० पी० 151 सा० (विधा०)—(2359)—1989—050 (नेक०) ।